

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 306]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 जुलाई 2016—श्रावण 3, शक 1938

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2016

क्र. 21329-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) जो विधान सभा में दिनांक 25 जुलाई 2016 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १६ सन् २०१६

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा
प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ३६ का
संशोधन.

२. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की धारा ३६ में, उप-धारा (१) में, खण्ड (ग घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ग ड) जिसके आवासीय परिसर में फलश शौचालय या जलवाहित शौचालय नहीं है; या”.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता एवं हर घर में शौचालय होना पहली प्राथमिकता है. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की धारा ७ की उपधारा (१) के खण्ड (ट) में यह उपबंध है कि स्वच्छता और सफाई ग्रामसभा के कार्यों में से एक है. इस उपबंध के प्रभावी क्रियान्वयन की दृष्टि से, पंचायत निर्वाचन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए यह निरहता अन्तःस्थापित की जाना आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसके आवासीय परिसर में फलश शौचालय या जलवाहित शौचालय नहीं है, पंचायत निर्वाचन में अभ्यर्थी होने के लिए निरह होगा. अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि उपरोक्त अधिनियम की धारा ३६ को यथोचित रूप से संशोधित किया जाए.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख २० जुलाई, २०१६

गोपाल भार्गव

भारसाधक सदस्य.